

राजेश्वर बनार बनार

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरस्ताक्षर जज

जज पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अ.न. 5/2022

0611.2022

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थिति प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दी गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर तकमील दाखिल दफ़्तर हो।


(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

